कार्यालय कलेक्टर (वित्त) मुंगेली (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक /वित्त–2/2016/5373/ मुंगेली, दिनांक 24/09/2016

इस कार्यालय में निम्नानुसार रिक्त पदो की सीधी भर्ती हेतु **jobs.cgmungeli.com** पर दिनांक **26.10.2016** के संध्या **05:30** बजे तक निर्धारित प्रारूप में आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र	पदनाम/ वेतनमान	आरक्षण की स्थिति												योग
		अनु.जाति			अनु.जनजाति			अ.पि.व.			अनारक्षित			
		मुक्त	महिला	भू.पू.से.	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	मुक्त	महिला	भू.पू.से.	
(1)	सहायक ग्रेड–03 5200–20200 + 1900	3	1	–	2	–	–	2	0	–	5	2	1	**16**
(2)	स्टेनो टायपिस्ट 5200–20200 + 1900	2	–	–	1	–	–	1	–	–	3	1	–	**8**
(3)	वाहन चालक 5200–20200 + 1900	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	**6**
(4)	अर्दली 4750–7440 + 1300	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3
(5)	चौकीदार 4750–7440 + 1300	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	5
(6)	भृत्य 4750–7440 + 1300	2	1	–	2	–	–	2	–	–	4	2	1	14
(7)	फर्राश 4750–7440 + 1300	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3
(8)	प्रोसेस सर्वर 4750–7440 + 1300	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	5

छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3/ नया रायपुर दिनांक 27.09. 2014 के अनुसार उपर्युक्त सहायक ग्रेड–03 के रिक्त 16 पदों में से 01 पद निःशक्तजन (OA, OL ,OAL, BL, B,, LV, HH,) हेतु आरक्षित है।

(Abbreviation used - OA- One Arm, OL- One Leg, OAL- One arm and one leg, BL- Both Legs, B-Blind, , LV- Lower Vision, HH- Hearing Handicapped)

क्रमशः...

नोट – 1. इस कार्यालय द्वारा दिनांक 08.07.2013 को रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए थे, किंतु नियुक्ति की प्रक्रिया एक वर्ष से भी अधिक समय तक लंबित रहने के कारण उक्त विज्ञापन को दिनांक 16.06.2016 को निरस्त किया गया है। जिन्होने भी पहले विज्ञापन में आवेदन किया था उन्हें पुनः नये विज्ञापन के अनुसार नया आवेदन करना अनिवार्य होगा। पूर्व आवेदन पर विचार नहीं होगा।

2. आरक्षण रोस्टर का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्र. एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.11.2012 के द्वारा किया गया है।

3. रिक्त पदो की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती हैं।

4. महिला उम्मीदवार नही मिलने पर उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा।

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं :–

उपरोक्त पदों हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार होगी :–

(1) सहायक ग्रेड–03 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाएन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में से किसी एक पर एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण.

(a) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सटिर्फिकेट।

अथवा

(b) मान्यता प्राप्त बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालाजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।

अथवा

(c) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।

अथवा

(d) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटाएन्ट्री की गति होनी चाहिए. (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

क्रमशः...

(2) **स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं :–**

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से कम्प्यूटर हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति.

3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाएण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में निम्न में से किसी एक पर एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटाएन्ट्री की गति होनी चाहिए.

(a) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

अथवा

(b) मान्यता प्राप्त बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालाजी/माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।

अथवा

(c) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

(d) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(3) **वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं :–**

(अ) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से माध्यमिक शाला परीक्षा (मिडिल स्कूल परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ब) भारी/हल्के वाहन का लायसेंस होना चाहिए।

(स) सभी प्रकार के वाहन चालन का एक वर्ष का अुनभव।

जो उम्मीदवार जिला समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा आठवी) के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। उन उम्मीदवारो को एक शपथ पत्र पेश करना अनिवार्य होगा कि उन्होने समतुल्यता प्रमाण पत्र (कक्षा आठवी) परीक्षा देने के पूर्व वर्षो में कक्षा आठवी की परीक्षा उत्तीर्ण नही की हैं।

क्रमशः...

इस संबंध में कार्यालय द्वारा छानबीन एवं जांच में यह पुष्टि होती है कि संबंधित उम्मीदवार द्वारा पूर्व वर्षो में आठवी–कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होते हुये भी समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा आठवी) के अनुसार इस पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में इनका आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।

(4) अर्दली, (5) चौकीदार, (6) भृत्य, (7) फर्राश, (8) प्रोसेस सर्वर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :–

पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

जो उम्मीदवार जिला समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा पांचवी) के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। उन उम्मीदवारो को एक शपथ पत्र पेश करना अनिवार्य होगा कि उन्होने समतुल्यता प्रमाण पत्र (कक्षा पांचवी) परीक्षा देने के पूर्व वर्षो में कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण नही की हैं।

इस संबंध में कार्यालय द्वारा छानबीन एवं जांच में यह पुष्टि होती है कि संबंधित उम्मीदवार द्वारा पूर्व वर्षो में पांचवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होते हुये भी समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा पांचवी) के अनुसार इस पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में इनका आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।

नियम एवं शर्ते :–

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्र. एफ9–1/2008/1–3 रायपुर दिनांक 01 फरवरी 2013 एवं छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्र. एफ–2–19/2013/सात–2 रायपुर दिनांक 27 जून 2013 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता संबंधी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन हेतु दिये गये निर्देशानुसार समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय संदर्भित भर्ती में पालनीय होंगे।

उपरोक्त पद के चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी अर्थात :–

(1) आयु –

(क) उम्मीदवार को दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.2015 के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छुट प्रदान की गई है।

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानो के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

क्रमशः...

(घ) उन अभ्यर्थियो के संबंध मे भी जो छत्तीसगढ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छुट दी जायेगी :-

(I) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 43 वर्ष से अधिक आयु का न हों।

(II) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 43 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियो, कार्यभारित कर्मचारियो तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति मे कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(III) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, शर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छंटनी" किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया।

(IV) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो मे से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य

क्रमशः...

रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

1. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,
2. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें :–
   (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
   (ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो।
3. मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।
4. उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है),
5. अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी।
6. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,
7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नही है,
8. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(V) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(VI) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियो तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियो के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(VII) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।

(VIII) स्वयं सेवी नगर सैनिको तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

क्रमशः...

टीप :– (1) उपरोक्त खण्ड (iv) के उपखण्ड 1 एवं 2 में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियो को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते है तो वे नियुक्ति के पात्र नही होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नही की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(IX) आयु के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(X) विधवा परित्याक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

(XI) निःशक्तजन आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी। बशर्ते निःशक्तता कम से कम 40 प्रतिशत हो।

(XII) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष छूट दी जावेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(XIII) छ.ग. शासन विभाग के पत्र क्र. एफ–3/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष होगी परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी – प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद भी शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) सभी प्रकार की आयु में छुटों में अधिक लाभकारी वाली एक ही छुट मिलेगी। यदि कोई आवेदक एक से अधिक छुटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छुट ही मिलेगी। उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छुट की पात्रता तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी।

(2) <u>पात्रता:–</u>

1. आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

क्रमशः...

2. आवेदक को छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अलावा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी। अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारो को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वैद्य स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मन्त्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 के कण्डिका 6(2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त् लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू–राजस्व की भांति वसूल किये जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आयु के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा शासकीय कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
7. जिन आवेदकों कों उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक/प्रतिशत के बजाय CGPA (Grade) प्रदान किया गया है, उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्धारित नियमानुसार गणना की जावेगी।
8. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर नाम व दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज का फोटो स्वप्रमाणित .jpg प्रारूप में 4.5 cm X 3.5 cm के बॉक्स में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त बॉक्स में निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। आवेदक फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पृष्ठ को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को .jpg फॉरमेंट में save करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साईज 100 kb से अधिक न हो। स्केन की हुई इमेज का आकर 140 pixel लम्बाई X 110 pixel चौड़ाई होनी चाहिये।
9. ऑन लाईन आवेदन करने के लिए **jobs.cgmungeli.com** के वेब साईट में जाकर पदों का चयन कर Web Page पर प्रदर्शित आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर Submit करें। भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति एप्लीकेशन आई.डी. के साथ प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाईन आवेदन भरने में परेशानी होने पर आवेदक दूरभाष क्र. 0771–4069997 पर सम्पर्क कर ऑनलाईन आवेदन भरने में सहायता प्राप्त कर सकते है।
10. आवेदन करने हेतु वेब साईट **jobs.cgmungeli.com** पर दिनांक **27.09.2016**.से दिनांक **26.10.2016** तक समय 5:30 बजे सायंकाल तक खुली रहेगी। इसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

क्रमशः...

11. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक एवं वांछित शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता स्वयं सुनिश्चित कर लेवें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदक अपना आवेदन आनलाईन करें। कौशल परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
12. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
14. कौशल परीक्षा के समय/चयन पश्चात आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी सुसंगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. समान अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय्र की जावेगी एवं अधिक उम्र वाले उम्मीदवारो का का चयन किया जावेगा।

(3) <u>अपात्रता:–</u>

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो –

1. पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। उसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
2. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
3. जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
4. जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
5. जिसकी दो से अधिक संन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है।
6. जो किसी अपराधिक प्रकरण में सजा यापता हो।

(4) <u>चयन प्रकिया</u>

1. **स्टेनो टायपिस्ट** के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए कुल निर्धारित 100 अंक होंगे जिसमें :–

क्रमशः...

(अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक।

(ब) कौशल परीक्षा में अधिकतम 30 अंक।

इस पद हेतु विज्ञापन में दर्शित अर्हता के अनुसार कौशल परीक्षा में 5000 key डिप्रेशन (हिन्दी) प्रतिघंटा होना चाहिए, इसके अनुसार अभ्यर्थी को परीक्षा में 300 शब्द का डिक्टेशन 5 मिनट में दिया जावेगा, जिसे डिक्टेशन लेने के बाद 30 मिनट में अनुवाद कर कम्प्यूटर में टाइप कर सुरक्षित(save) करना होगा जिसकी जांच हेतु प्रिंट आउट की जावेगी।

अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में निम्न कार्य हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित किये गये है।

1. डिक्टेशन लेने के बाद निर्धारित समय पर टाइप किये हुये 300 शब्दों को सही टाइप करने हेतु 15 अंक।
2. टायपिंग स्पीड परीक्षा हेतु 15 अंक।

2. **सहायक वर्ग–03** के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए कुल निर्धारित 100 अंक होंगे जिसमें :–

(अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक।

(ब) कौशल परीक्षा में अधिकतम 30 अंक।

3. **वाहन चालक** के पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए कुल निर्धारित 100 अंक होंगे जिसमें :–

(अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक।

(ब) कौशल परीक्षा में अधिकतम 30 अंक।

जिन आवेदकों को छ.ग. शिक्षा विभाग द्वारा ली जानी वाली आठवी परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड निर्धारित है, उन आवेदकों को अपना ग्रेड आवेदन करते समय डालना होगा, ग्रेड से प्रतिशत की गणना निम्न पद्धति से की जावेगी।

क्र.	ग्रेड	अधिकतम निर्धारित प्रतिशत
01	ए	90 प्रतिशत
02	बी	73 प्रतिशत
03	सी	58 प्रतिशत
04	डी	43 प्रतिशत
05	इ	16 प्रतिशत

सहायक ग्रेड–03, स्टेनो टायपिस्ट एवं वाहन चालक, पद के कौशल परीक्षा हेतु एकपद के विरूद्ध 10 उम्मीदवारों को न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त उच्चतम अंक के आधार पर तैयार की गई वरिष्ठता सूची के अनुसार बुलाया जाएगा।

4. **अर्दली/चौकीदार/भृत्य/फर्राश/प्रोसेस सर्वर/पद के पात्र उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 100 अंक होगी।**

क्रमशः...

जिन आवेदकों को छ.ग. शिक्षा विभाग द्वारा ली जानी वाली पांचवी परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड निर्धारित है, उन आवेदकों को अपना ग्रेड आवेदन करते समय डालना होगा, ग्रेड से प्रतिशत की गणना निम्न पद्धति से की जावेग

क्र.	ग्रेड	अधिकतम निर्धारित प्रतिशत
01	ए	90 प्रतिशत
02	बी	73 प्रतिशत
03	सी	58 प्रतिशत
04	डी	43 प्रतिशत
05	इ	16 प्रतिशत

उपरोक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त उच्चतम अंक के आधार पर वरिष्ठता सूची चयन हेतु तैयार की जावेगी।

(5) कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(6) आवेदन आनलाईन से ही स्वीकृत किये जाएंगे। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन स्वत: अस्वीकार किये जाएंगे।

(7) विस्तृत विज्ञापन cg.nic.in/mungeli की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

(8) ऑनलाईन आवेदन पत्र अधूरा, त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण होने पर अमान्य होगा।

(9) सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम लागू होगी।

(10) समस्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ0ग0) द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(11) ऑनलाईन आवेदन में दर्शाई गई जानकारी असत्य एवं मिथ्या पाई जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(12) समस्त पदों के लिए चयन सूची जारी होने के पश्चात एवं नियुक्ति आदेश के समय समस्त प्रकार के मूल प्रमाण पत्र एवं सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दी जावेगी।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिक्त पदों के संबंध में शासन के निर्देशानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

(14) चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर मुंगेली को होगा।

(15) चयनित उम्मीदवार का पुलिस वेरीफिकेशन कराने एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा में लिया जावेगा, अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(16) नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत कर्मचारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

(कले.महो. एवं जिला चयन समिति द्वारा अनु.)

अपर कलेक्टर
मुंगेली (छ.ग.)

————————फोटो सह हस्ताक्षर अटैचमेंट हेतु आवश्यक निर्देश————————

आवेदक निम्न बॉक्स का प्रयोग फोटो चस्पा कर तथा हस्ताक्षर कर स्कैन करने हेतु कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवेदक पूरे पेज की स्कैनिंग न करें। केवल फोटो तथा हस्ताक्षर युक्त बॉक्स की ही स्कैनिंग की जाए।

आवेदक इस बॉक्स के अंदर अपना फोटो चिपकाएं →	size : 4.5cmX3.5cm
आवेदक इस बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करें →	

टीप :–

(1) ऑनलाईन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :– आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउण्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखे स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि फोटोग्राफर द्वारा प्रिंट की हुई होनी चाहिए।

(2) आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व उक्त बॉक्स में निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। आवेदक फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्कैन करे कि स्कैन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्कैन न हो। उक्त प्रकार से स्कैन की हुई इमेज को jpg/.jpeg फॉरमेंट में save करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन की हुई इमेज का साईज 100 kb से अधिक न हो।